

पत्रांक 3278 / वैट धारा-57/08-09/आयु0क0 उत्तरा0/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(धारा-57 अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून 24 दिसम्बर 2008

सर्वश्री किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड,  
जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।

आदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत

सर्वश्री किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) द्वारा पत्रांक सी0सी0/किच्छा/453 दिनांक 24-09-08 के द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिया गया जो इस कार्यालय में दिनांक 01-10-08 में प्राप्त हुआ है। उक्त प्रार्थना-पत्र में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा मै0डी0एस0एम0 ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 23-05-08 को दिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रांत के भीतर बिक्री की गयी चीनी पर प्रवेश कर दिये जाने अथवा नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में उचित निर्देश देने तथा यदि शासन स्तर से इस सन्दर्भ में कोई और निर्णय लिए गये हों तो तदनुसार सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मत है कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा-57(1) के अन्तर्गत ऐसे विवादग्रस्त प्रश्नों, जिसमें किसी न्यायालय के समक्ष अथवा धारा-25, धारा-26 या धारा-29 के अधीन कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से अन्यथा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तब ऐसे प्रश्नों के विनिश्चय करने की अपेक्षा की गयी है। प्रार्थना-पत्र में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित जिस निर्णय का हवाला दिया गया है, उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुज्ञा याचिका मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः सम्बन्धित फर्म द्वारा धारा-57 के तहत प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र की प्रकृति धारा-57(1) में वर्णित व्यवस्था में आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदनकर्ता को प्रेषित की जाये।


(वी0के0 सक्सेना)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय देहरादून।

पृ०प०सं० व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— सर्वश्री किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, जिला—उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
- 3— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 4— एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/ (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 5— समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/उद्योग/व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6— ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
- 7— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार/रुद्रपुर।
- 8— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 9— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०यू० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 10— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 11— नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 12— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 13— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 14— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 15— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

  
26/208  
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय देहरादून।